

[श्री डी.पी. त्रिपाठी]

सी.पी.डब्ल्यू.डी. विभाग करता रहता है, परंतु छोटे कर्मचारियों के टाइप-1, टाइप-2 मकानों की हालत बेहद खराब है।

महोदय, कालीबाड़ी, मंदिर मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, सरोजिनी नगर इत्यादि जगहों में छोटे कर्मचारियों के लिए मकान बने हैं। ज्यादातर मकानों की दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुके हैं। छत कमज़ोर हो गई है और कई मकानों की छतों से पानी टपकता है। शिकायत करने पर स्थिति की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पूर्व दिनांक 26.07.12 को काली बाड़ी में एक मकान संख्या एच-48 की छत गिर गई, जिसके बारे में सी.पी.डब्ल्यू.डी. को कई बार पूर्व सूचना दी गई थी, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। छत गिरने से एक महिला को गंभीर चोटें आईं, जिसकी पुनः शिकायत की गई, परंतु कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई।

मेरी मांग है कि छोटे कर्मचारियों के मकानों की दशा सुधारने के लिए उनसे संबंधित शिकायतों पर तुरंत गंभीरता से ध्यान दिया जाए, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उपरोक्त घटना की तरफ ध्यान न देने वाले सी.पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

Need to frame strict regulations to check the sale, regulation and advertisement of medicines claiming magic remedies

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : महोदय, इन दिनों टी.वी., समाचार पत्रों, रेडियो पर विभिन्न गंभीर बीमारियों के अचूक इलाज के नाम पर अनेक प्रकार के विज्ञापनों की भरमार है। संचार माध्यमों पर किसी लोकप्रिय अभिनेता, खिलाड़ी या मॉडल आदि के द्वारा ऐसी दवाओं का बखान सामान्य लोगों में उन दवाओं के प्रति विश्वास बढ़ाता है तथा देश के हजारों लोग विज्ञापन को हकीकत समझकर ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, अस्थमा, डायबिटीज़, बालों का गिरना रोकने तथा कैंसर जैसी बीमारियों के लिए ऑर्डर द्वारा महंगी दवाएं मंगाकर लेने लगते हैं।

क्या ऐसी सभी विज्ञापित दवाओं को सरकार द्वारा सुरक्षित एवं प्रभावी मानते हुए लाइसेंस दिया जाता है? क्या किसी को भी दवाएं बनाने एवं बेचने की खुली छूट है, क्योंकि कुछ नीम-हकीमों की दवा से कई लोग अधिक तकलीफ भुगतते हैं। अतः इस विषय में, सरकार की नीति क्या है। तथा दवाओं का मूल्य निर्धारण कौन करता है, कृपया इसकी जानकारी प्रदान करें।

Demand from NCR Board to provide funds for bus services from Ghaziabad to Delhi

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश): महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया है। राजधानी क्षेत्र में आधारभूत